

समाहरणालय, पटना ।  
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स न०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

09-01-2014

श्री प्रदीप कुमार राय, पिता—श्री तेज बहादुर राय, सा०—अल्कापुरी, H/O-Late Gaya Prasad Singh, पो०—अनिसाबाद, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना, स्थायी पता—ग्राम—सगरा, पो०—नागपुर, थाना—राजपुर, थाना—बक्सर (बिहार) द्वारा एक .12 बोर डी०बी०बी०एल० गन की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2006 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—26/2006 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—09.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं एवं System Analyst हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—265/गो०, दिनांक—16.02.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मूल में संलग्न कर भेजा गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के स्थायी पते पर सत्यापन के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाय। पुलिस अधीक्षक, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के स्थायी पते का सत्यापन राजापुर थाना द्वारा किया गया है। जाँचोपरान्त इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक दोनाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं०—544, बग्घा थाना, पटना ओ०डी० सं०—834/70 पर धारित शस्त्र को अपने नाम हस्तांतरित करना चाहते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप—धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :


परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक .12 बोर डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री प्रदीप कुमार राय, पिता—श्री तेज बहादुर राय, सा0—अल्कापुरी, H/O-Late Gaya Prasad Singh, पो0—अनिसाबाद, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना, स्थायी पता—ग्राम—सगरा, पो0—नागपुर, थाना—राजपुर, थाना—बक्सर (बिहार) के आवेदित एक .12 बोर डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।